पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और अन्य

बनाम

हरविंदर सिंह

19 जनवरी 2006

[अरिजीत पसायत और आर.वी. रवीन्द्रन, जे.जे.]

विद्युत आपूर्ति:

नए विद्युत बड़े आपूर्ति कनेक्शन के लिए आवेदन - एक परिपत्र के अनुसार विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ता से अतिरिक्त मांग - एक विशेष तिथि से लागू परिपत्र - उपभोक्ता ने निर्दिष्ट तिथि से पहले कनेक्शन के लिए आवेदन किया था - स्पष्टीकरण परिपत्र द्वारा, पिछला परिपत्र उन लोगों पर भी लागू होता है, जिनके कनेक्शन निर्दिष्ट तिथि पर जारी नहीं किए गए थे-मांग का औचित्य-धारित: परिपत्र निर्दिष्ट तिथि से पहले आवेदन करने वाले आवेदकों पर भी लागू था-मांग उचित थी ।

प्रतिवादी ने एक नए विद्युत बड़े आपूर्ति कनेक्शन संख्या 10.3.992 के लिए आवेदन किया था। उन्होंने जमानत राशि जमा कर दी। अपीलकर्ता-बोर्ड ने परिपत्र दिनांक 4.5.1995 और स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 6.2.1996 के मद्देनजर बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं से

कनेक्टेड लोड के 60% से अधिक एकमुश्त अनुबंध मांग शुल्क के आधार पर पहले से जमा की गई राशि के अलावा अतिरिक्त मांग की।

मांग के विरुद्ध प्रतिवादी के अभ्यावेदन को बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके खिलाफ रिट याचिका को भी उच्च न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पहले के परिपत्र में उन उपभोक्ताओं को इस तरह के शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी, जिन्होंने 1.4.1995 से पहले नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए माना:

1. उठाई गई मांग को कानून की मंजूरी के बिना नहीं कहा जा सकता। 4.5.1995 का परिपत्र उन आवेदकों पर भी लागू था जिनके आवेदन 1.4.1995 से पहले किए गए थे और लंबित थे। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जिन लोगों ने विस्तार के लिए आवेदन किया था, उन्हें मांग का भुगतान करना होगा, लेकिन जो नए आवेदक थे, उन्हें नहीं।

2. अपीलकर्ता-बोर्ड का स्पष्ट इरादा, जैसा कि दोनों परिपत्रों के संयुक्त वाचन से पता चलता है, वह यह है कि वे आवेदक जिनके आवेदन 1.4.1995 से पहले किए गए थे, लेकिन जिन्हें कनेक्शन/एक्सटेंशन जारी होने से पहले जारी नहीं किया गया था। परिपत्र दिनांक

4.5.1995, भले ही वे 1.4.1995 से पहले लागू थे, उन्हें कनेक्टेड लोड के 60% से अधिक एकमुश्त अनुबंध मांग शुल्क के आधार पर राशि का भुगतान करना आवश्यक था। [489-ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2398/2000

(पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.11.1999 से सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2829 /1999)

अपीलकर्ताओं के लिए एच.एम.सिंह, अनिल हुडा, कौशल यादव और सुश्री शाभा सैफी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

अरिजीत पसायत, जे.

इस अपील में चुनौती पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को दी गई है जिसमें कहा गया है कि पंजाब राज्य बिजली बोर्ड (संक्षेप में 'बोर्ड') द्वारा 2,17,000/- रुपये की मांग

अनुचित थी।

पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

प्रतिवादी ने इंडक्शन फ़्यूरेंस चलाने के लिए 0.3.1992 को एक नए इलेक्ट्रिक एलएस (बड़ी आपूर्ति) कनेक्शन के लिए बोर्ड में आवेदन किया था। उन्होंने उसी दिन सिक्योरिटी के रूप में 2,01,000/- रुपये की राशि जमा कर दी और सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका आवेदन पंजीकृत कर लिया गया। बोर्ड ने अपने परिपत्र सीसी संख्या 41/95 दिनांक 4.5.1995 के अनुसार कनेक्टेड लोड के 60% से अधिक अनुबंध मांग की मांग करने वाले बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं से एकमुश्त शुल्क और अनुबंध मांग के आधार के बजाय कनेक्टेड लोड के आधार पर मासिक न्यूनतम शुल्क वसूलने का निर्णय लिया।

12.2.1999 को इस आधार पर कि प्रतिवादी ने कोई जमाकर्ता नहीं था, 2,17,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग की गई थी, जो परिपत्र दिनांक 4.5.1995 और स्पष्टीकरण परिपत्र दिनांक 6.2.1996 के अनुसार अपेक्षित राशि थी। प्रतिवादी ने अधिकारियों को एक अभ्यावेदन देकर कहा कि मांग को समाप्त करने का कोई दायित्व नहीं है। लेकिन बोर्ड के अधिकारियों ने इस रुख को खारिज कर दिया और माना कि प्रतिवादी जमा करने के लिए उत्तरदायी था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन दायर किया गया था जिसमें

उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए थे:
(i) "क्या याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को सुनवाई का अवसर दिए बिना सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है?
(ii) क्या बिजली कनेक्शन जारी करने की तारीख उस तारीख को ली जाएगी जब सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई थीं और याचिकाकर्ता के कारखाने के परिसर तक और भीतर लाइनें स्थापित कर दी गई थीं?
'(iii) क्या प्रतिवादी की मांग अवैध है जब बिजली के बिलों के विरुद्ध उपभोग शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है?'

उच्च न्यायालय का विचार था कि परिपत्र दिनांक 4.5.1995 में, बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के लिए उक्त परिपत्र के संदर्भ में जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाद के स्पष्टीकरण परिपत्र में जो कहा गया वह बोर्ड को उस तरीके से मांग करने का आधार प्रदान नहीं कर सका। उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले के सर्कुलर में जिन उपभोक्ताओं ने 1.4.1995 से पहले नए उपभोक्ता कनेक्शन के लिए आवेदन किया था, उन्हें एकमुश्त डिमांड शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि बोर्ड ने परिपत्र संख्या सीसी 11/96 दिनांक 6.2.1996 जारी करके ऐसे उपभोक्ताओं से भी शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है,यह केवल उक्त परिपत्र की तारीख से प्रभावी है, उपभोक्ताओं के ऐसे वर्ग को एकमुश्त अनुबंध मांग शुल्क का भुगतान

करना आवश्यक था। तदनुसार, मांग नोटिस दिनांक 12.2.1999 को रद्द कर दिया गया।

बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अस्थिर है। पहले परिपत्र में यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार लिखा गया था:-

xxx xxx xxx

"बोर्ड द्वारा कनेक्टेड लोड के 60% से अधिक अनुबंध मांग की मांग करने वाले बड़े आपूर्ति उपभोक्ताओं से एकमुश्त शुल्क वसूलने और अनुबंध मांग के आधार के बजाय कनेक्टेड लोड के आधार पर मासिक न्यूनतम शुल्क वसूलने का निर्णय लिया गया है।

xxx xxx xxx

"कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कनेक्टेड लोड के 40% और I 00% के बीच तय की जाएगी और उपभोक्ता के पास इसे घोषित करने का विकल्प होगा।

उपरोक्त शुल्क केवल नए आवेदकों के मामले में लगाया जाएगा जो 1.4.1995 से नए कनेक्शन के लिए लोड/मांग जारी करने या लोड/मांग में विस्तार के लिए आवेदन करते हैं। हालाँकि, मौजूदा उपभोक्ताओं के मामले में जिन्होंने 1.4.1995 से पहले लोड/मांग में विस्तार के लिए

आवेदन किया है और कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। उपरोक्त शुल्क कुल कनेक्टेड लोड की अनुबंध मांग के आधार पर या केवल विस्तारित भार के लिए अनुबंध मांग पर, जो भी न्यूनतम हो, लगाया जाएगा। उपरोक्त शुल्क एचटी बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं के संबंध में नहीं लगाया जाएगा क्योंकि अनुबंध मांग उनके द्वारा स्थापित 11 केवी ट्रांसफार्मर के बराबर न्यूनतम तय की गई है।

बाद के परिपत्र दिनांक 6.2.1996 द्वारा, जो कुछ फील्ड अधिकारियों द्वारा उठाए गए संदेहों को स्पष्ट करने के लिए जारी किया गया था, इसे इस प्रकार कहा गया था:

> "सभी नए आवेदकों से प्रति केवीए और सी.सी.नंबर 41/95 में उल्लिखित दरों के अनुसार एकमुश्त अनुबंध मांग शुल्क की वसूली की जाएगी, जिन्होंने 1.4.1995 से नए कनेक्शन के लिए लोड/मांग जारी करने या लोड/मांग में विस्तार के लिए आवेदन किया है। ये शुल्क ऐसे सभी उपभोक्ताओं से भी वसूला जाना है जिनके कनेक्शन/एक्सटेंशन इस सर्कुलर के जारी होने यानी 4.5.1995 से पहले जारी नहीं किए गए हैं, भले ही उन्होंने 1.4.1995 से पहले आवेदन किया हो।"

नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

हम पाते हैं कि बोर्ड का स्पष्ट इरादा, जैसा कि दोनों परिपत्रों के संयुक्त वाचन से पता चलता है, वह यह है कि जिन आवेदकों ने 1.4.1995 से पहले आवेदन किया था, लेकिन जिनको कनेक्शन/एक्सटेंशन दिनांक 4.5.1995 के परिपत्र के जारी होने से पहले भी जारी नहीं किए गए थे•, हालाँकि उन्होंने 1.5.1995 से पहले आवेदन किया था, लेकिन उन्हें कनेक्टेड लोड के 60% से अधिक की अनुबंध मांग के एकमुश्त अनुबंध मांग शुल्क के आधार पर राशि का भुगतान करना आवश्यक था।

हालाँकि 4.5.1995 के पहले परिपत्र के रेखांकित भाग के कारण कुछ भ्रम दिखाई देता है कि शुल्क केवल नए आवेदक के मामले में लगाया जाना था, जिन्होंने लोड जारी करने के लिए आवेदन किया था। बाद की पंक्तियाँ स्थिति को स्पष्ट करती हैं कि यह उन आवेदकों पर भी लागू था जिनके आवेदन 1.4.1995 से पहले किए गए थे और लंबित थे। यह कल्पना नहीं की जा सकती कि जिन लोगों ने विस्तार के लिए आवेदन किया था, उन्हें मांग का भुगतान करना होगा, लेकिन उन्हें नहीं, जो नए आवेदक थे।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार, दिनांक 12.2.1999 द्वारा उठाई गई मांग को कानून की मंजूरी के बिना नहीं कहा जा सकता है। बोर्ड अब उस प्रतिवादी से राशि वसूलने के लिए आगे बढ़ सकता है जो कानून के अनुसार सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

के.के.टी.

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।